



जन्मजात नागरिकता खत्म करने के दृम्प के आदेश पर कोर्ट ने अस्थायी रोक लगाई

सिएटल डिस्ट्रिक्ट जज जॉन कॉफनौर ने दृम्प के आदेश को पहला कानूनी झटका दिया

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 जनवरी सिएटल में एक फैडरल जज ने राष्ट्रपति अमेरिका के उस कार्यकारी आदेश पर अस्थायी रुप से रोक लगा दी है, आदेश कार्यकारी अंजाम में जन्म लेने वाले बच्चों के स्वतः अमेरिकन नागरिकता के अधिकार और रोक लगा दी गई थी। कोर्ट के फैसले से अमेरिका में रह रहे भारतीय परिवारों को राहत मिली है, खासकर उन्हें जो एच वन वी जीजा पर वहाँ रह रहे हैं।

अमेरिका ने इस नीति के क्रियान्वय पर 14 दिन की रोक लगा दी है।

दृम्प ने कार्यालय में पहले ही यह आदेश जारी कर दिया, जिसमें अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों के माता-पिता में से कोई भी अमेरिकन नागरिक नहीं है तो उन्हें अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलती।

कोर्ट के फैसले से अमेरिका की नागरिकता के कानूनों को पुनः परिवर्तित करने में दृम्प के प्रयासों को पहला बड़ा झटका लगा है।

- कोर्ट के इस आदेश से उन गर्भवती महिलाओं को राहत मिली है जो 20 फरवरी से पहले बच्चे को जन्म देने के लिए डॉक्टरों के पास जा रही हैं।
- सिएटल के डिस्ट्रिक्ट जज जॉन कॉफनौर ने 14 दिन के लिए इस आदेश पर रोक लगा दी है। पहले से ही संभावना थी कि जन्मजात नागरिकता खत्म करने के दृम्प के फैसले की राह में भारी कानूनी अङ्गठन आएंगी।
- जन्म के आधार पर अमेरिका की नागरिकता मिलेने के कानून के खत्म करने वाला दृम्प का एज़्जीक्युटिव ऑफर 20 फरवरी से लागू होना है और अप्रवासी गर्भवती महिलाओं, खासकर भारतीय, में 20 फरवरी से पहले बच्चे को जन्म देने की होड़ लगी है, जिसके लिए वो किसी भी होड़ तक जा सकती हैं।

दृम्प द्वारा हस्ताक्षरित आदेश, जो गायनोकॉलेजिस्ट के पास अचानक ही 19 फरवरी से लागू होना था, अमेरिका एवं जन्म लेने वाले लाखों बच्चों को गर्भवती भारतीय महिलाओं की बाद आ गई है, जो "सिस्टरेनें" से बच्चे को मिलाने पर अमेरिका के नागरिकता माता-पिता की संसान थे, पर अमेरिका ने इसलिए उन्हें अमेरिकन नागरिक माना गया। किम को विदेश जाना के बाद संघीय सरकार ने प्रेसेंस देने से मना कर दिया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जाएगा और उसके बाद जन्मे बच्चों को अमेरिकन नागरिकता नहीं मिलेगी, 20 फरवरी के बाद जन्मे बच्चों को जब ही नागरिकता मिल पाएगी, जब इनके माता-पिता में से एक अमेरिकन नागरिक हो या ग्रीन कार्ड धारक हो। ऐसा नहीं हुआ तो 21 साल का होने पर उन्हें अमेरिका छोड़ा होगा।

दृम्प का ऑर्डर कार्रवाई है कि जो लोग अमेरिका के नागरिक नहीं हैं, उनके अमेरिका में जन्मे बच्चे अमेरिकन नहीं हैं। दृम्प ने फैडरल एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि उन बच्चों को नागरिकता न दी जाए, जिनके माता-पिता में से एक भी अमेरिकन नागरिक नहीं है। जन्म के आधिकार से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला 1898 में आया था, जब कोर्ट ने वॉन-वी जीजा पर वहाँ रह रही वामपांचिकों के अमेरिकी नागरिक करार दिया था, वॉन-वीनी अवासी माता-पिता की संसान थे, पर अमेरिका नहीं होने पर नाराजगी जाता रहे हैं। बन अधिकारी शिकायियों को ढूँढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ जगह दविश भी दी जा रही है, लेकिन अब तक कोई पकड़ में नहीं आया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत-पाक सीमा के पास हिरण का शिकार

बीकानेर, 24 जनवरी (निसं)। भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर हिरण के शिकार का मामला सामने आया है। सुबह गुत्तवाली बन्य क्षेत्र में शिकार की जानकारी मिली, उसके बाद से वन्यजीव प्रेमियों में भारी आक्रोश है और शिकायियों की तुरंत गिरफतारी की मांग की जा रही है। और शिकायियों की गिरफतारी हो गई है।

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार सुबह गुल्तवाली बन्य क्षेत्र में आक्रोशित वन्य प्रेमी शिकायियों की गिरफतारी पर अडे।

हिरण का शिकार हुआ। इस दौरान हिरण के शरीर पर कई बार किए गए। राम अधिकारी की सुन्नता मिलते ही वन्य जीवप्रेमी पैके पर पहुंच गए। बन विभाग के एसीएफ सुर्योपाल सिंह, रैनर, रविन्द्र सिंह एवं बालग अंग राज्यों में बैंक खाते खुलवाए थे। ये ठांग, लोगों से की गई साइबर ठांग के वैनों को खो दिया गया। यह हिरण का पशु चिकित्सालय में गठित बोर्डेर पर सेस्टमार्ट करवाया जा रहा है। यैकेपर एक बार के अंत मामला 1898 में आया था, जब कोर्ट ने वॉन-वी जीजा पर कार्रवाई की। जो लोग अमेरिका के नागरिक नहीं हैं, उनके अमेरिका में जन्मे बच्चे अमेरिकन नहीं हैं। दृम्प ने फैडरल एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि उन बच्चों को नागरिकता न दी जाए, जिनके माता-पिता में से एक भी अमेरिकन नागरिक नहीं है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ग्रामीणों के बैंक खाते खरीदकर 52 करोड़ रुपए की सायबर ठगी, सात गिरफ्तार

बीकानेर में ऐसे 75 बैंक खाते आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनके जरिए साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा था

बीकानेर, 24 जनवरी (निसं)। ब्रामीणों के बैंक अकाउंट खरीद कर उनके जरिए कीरीब 52 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने का मामला सामने आया है। पता चला है कि इसके लिए बदमाश पहले बैंक में ग्रामीणों के अकाउंट खुलवाए, फिर इन खातों को 5 हजार से 10 हजार रुपए में खरीद लेते थे, यारी वे ग्रामीणों से उनके बैंक अकाउंट का किंस (चेक बुक, पासबुक आदि) ले लेते थे। वे इन किंस के अलग-अलग राज्यों में बैंक खाते खुलवाए थे। ये ठांग, लोगों से की गई साइबर ठगी के वैनों को खो दिया गया। यह हिरण का पशु चिकित्सालय में गठित बोर्डेर पर सेस्टमार्ट करवाया जा रहा है। यैकेपर एक बार के अंत मामला 1898 में आया था, जब कोर्ट ने वॉन-वी जीजा पर कार्रवाई की। जो लोग अमेरिका के नागरिक नहीं हैं, उनके अमेरिका में जन्मे बच्चे अमेरिकन नहीं हैं। दृम्प ने फैडरल एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि उन बच्चों को नागरिकता न दी जाए, जिनके माता-पिता में से एक भी अमेरिकन नागरिक नहीं है।

बीकानेर के खातों को लेकर केरल, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, प. बंगल सहित कई राज्यों से शिकायतें आ रही थीं।

एसीपी का बैंक खाते खुलवाए के बैंकों में प्रौद्योगिकी में सापेक्ष अद्यता खाते खुलवाए गए हैं और अमेरिका के नागरिकों के बैंकों में बैंक खाते खुलवाए थे। ये ठांग, लोगों से की गई साइबर ठगी के वैनों को खो दिया गया। यह हिरण का पशु चिकित्सालय में गठित बोर्डेर पर सेस्टमार्ट करवाया जा रहा है। यैकेपर एक बार के अंत मामला 1898 में आया था, जब कोर्ट ने वॉन-वी जीजा पर कार्रवाई की। जो लोग अमेरिका के नागरिक नहीं हैं, उनके अमेरिका में जन्मे बच्चे अमेरिकन नहीं हैं। दृम्प ने फैडरल एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि उन बच्चों को नागरिकता न दी जाए, जिनके माता-पिता में से एक भी अमेरिकन नागरिक नहीं है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

"इन्डैमिटी अंडरटेकिंग" देने पर ही श्री शुभम लॉजिस्टिक्स के गोदामों में 2,790 करोड़ रुपए की कृषि उपज रखवाई जाएगी

इस कंपनी द्वारा 48 गोदामों का बीमा "गलत श्रेणी" में करवाने और शर्तों के उल्लंघन के कारण राजस्थान सरकार ने फैसला लिया

-यावार, 24 जनवरी (निसं)। खातेदारी भूमि में लाईस स्टेन के बड़े पैमाने पर अवैध खनन पर प्रशासन ने बड़ी बालोंकारी की खनिज विभाग ने इन मामलों पर 1 करोड़ 39 लाख 20 हजार की नेलटी लागी है।

जिला कलेक्टर डॉ. महेन्द्र खड्गवाल को आमनोल तहसील जितापुण में अवैध खनन की शिकायत मिली थी, उन्होंने खनिज विभाग, पुलिस व राजस्व विभाग की एटीम गठित कर जैरावाहनी अंडरटेकिंग नहीं देती है तो किसीनो से समर्थन मूल्य पर खरीदे गई 2,790 करोड़ 39 लाख 20 की राही उपज के इच्छिता खातों में नहीं रखवाया जायेगा। राज्य सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है, क्योंकि इस कंपनी ने 48 गोदामों का बोर्डेर पर खरीदे गए खातों को इच्छिता खातों में नहीं रखवाया जायेगा। राज्य सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है, क्योंकि इस कंपनी ने 48 गोदामों का बोर्डेर पर खरीदे गए खातों को इच्छिता खातों में नहीं रखवाया जायेगा। राज्य सरकार ने यह कदम इसलिए उठ